



2026:AHC: 57649

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5271/2026

नीशु शाह उर्फ सददाम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सौरभ पांडे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आज विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में दाखिल पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ पाण्डेय तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।
3. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक **नीशु शाह उर्फ सददाम** की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 107/2023, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र (उ.प्र.) में पंजीकृत वाद में विचारण के लम्बित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।
4. संक्षेप में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अभिकथनों के अनुसार, अभियुक्त-आवेदक तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अन्य सह-अभियुक्तगण किसी गिरोह के सदस्य हैं और उन्होंने समाज के विरुद्ध गंभीर अपराध कारित किए हैं।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि यद्यपि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है, तथापि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपित कोई अपराध नहीं किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और उसे किसी अन्य उद्देश्य तथा पुलिसकर्मियों के साथ पूर्व वैमनस्य के कारण असत्य रूप से फँसाया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि गैंग-चार्ट के अनुसार आवेदक चार आपराधिक वादों में संलिप्त बताया गया है, जिनमें वह सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पहले से ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उपर्युक्त चार वादों के अतिरिक्त आवेदक का एक अन्य वाद का आपराधिक इतिहास है, जिसे पूरक शपथ-पत्र के प्रस्तर 2 में स्पष्ट किया गया है। आवेदक न तो किसी गैंग का नेता है और न ही किसी गैंग का सदस्य है। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-अभियुक्त मोहम्मद इदरीश शाह उर्फ लल्लन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 06.11.2024 को पारित आदेश, जो आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 40372/2024 में पारित है, द्वारा पहले से ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। विद्वान एजीए के कथन के अनुसार इस वाद में आरोप-पत्र पहले से ही दाखिल किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 03.08.2023 से कारागार में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने यह कहते हुए आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है कि आवेदक गैंग का सदस्य है और अपराध करने का अभ्यस्त है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पुनः ऐसी ही असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाएगा और अभियोजन साक्षियों को धमकी एवं भय दिखाकर जमानत का दुरुपयोग करेगा।

7. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) निम्नानुसार है –

"(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, तो जमानत पर अथवा अपने बंधपत्र पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि –

(ए) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो; और



(बी) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करे, वहाँ न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट न हो जाए कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की सम्भावना नहीं है।"

8. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के प्रकाश में, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री, गैंग-चार्ट में उल्लिखित अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्त-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

9. **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 एससीसी 713** में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनेकानेक निर्णयों में यह कहा गया है कि संविधान के भाग III द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रता अपने सुरक्षात्मक दायरे में न केवल उचित प्रक्रिया एवं निष्पक्षता को, अपितु न्याय तक पहुँच एवं शीघ्र विचारण को भी समाहित करती है। सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति, **विचाराधीन बन्दियों का प्रतिनिधित्व करते हुए बनाम भारत संघ, (1994) 6 एस सी सी 731** में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विचाराधीन बन्दियों को विचारण के लम्बित रहने के दौरान अनिश्चितकाल तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। आदर्श रूप में, किसी भी व्यक्ति को उसके कृत्यों के प्रतिकूल परिणाम तब तक नहीं भोगने चाहिए जब तक कि वे किसी निष्पक्ष मध्यस्थ के समक्ष स्थापित न हो जाएँ। तथापि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकताओं के दृष्टिगत, जहाँ एक प्रभावी विचारण सुनिश्चित करने तथा समाज को उस जोखिम से बचाने के लिए जो विचारण के लम्बित रहने के दौरान किसी संभावित अपराधी के खुला छोड़े जाने पर उत्पन्न होता है, न्यायालयों को यह निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है कि क्या किसी व्यक्ति को विचारण के लम्बित रहने के दौरान रिहा किया जाना चाहिए। एक बार यह स्पष्ट हो जाने पर कि समयबद्ध विचारण संभव नहीं होगा और अभियुक्त काफी समय से कारावास में है, न्यायालय सामान्यतः उसे जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होंगे।

10. प्रस्तुतियों पर विचार करने के उपरांत कि आवेदक के आपराधिक इतिहास को पूरक शपथ-पत्र में विधिवत् स्पष्ट किया गया है; सह-अभियुक्त मोहम्मद इदरीश शाह उर्फ लल्लन को पहले से ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है; विद्वान एजीए इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आपराधिक इतिहास को अभियुक्त-आवेदक द्वारा पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है; विद्वान



एजीए के कथन के अनुसार इस मुकदमे में दिनांक 03.03.2024 को आरोप-पत्र पहले से ही दाखिल किया जा चुका है और इस प्रकार अभियोजन साक्षियों को भयभीत करने एवं दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है; अभियुक्त-आवेदक दिनांक 03.08.2023 से कारागार में है; तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश एवं **दतराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2018) 3 एस सी सी 22 तथा सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, एसएलपी (क्रि.) संख्या 5191/2021** में सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए, बिना वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए, उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए –

- (i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही साक्षियों को डराएगा।
- (ii) आवेदक यह वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर वह कोई स्थगन नहीं माँगेगा।
- (iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो स्वयं अथवा सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुसार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक निम्नलिखित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा –
 - (i) वाद शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने तथा (iii) अभियुक्त का अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए बयान अभिलिखित किए जाने।
- (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

12. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक एवं प्रतिभू की पहचान एवं निवास प्रमाण सम्बन्धित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति संतोष राय)

20 मार्च, 2026

अंकित

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।